न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 128/2022/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोटा बून्दी
दायरा दिनांक 20.06.2022
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

तेजमल आत्मज कल्याण गुर्जर निवासी कल्याणीखेड़ा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रामदत्त शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो

::निर्णय::

दिनांक 15.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 568/प्रा0पत्र/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां बनाम तेजमल आत्मज कल्याण गुर्जर में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2003 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनवां के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट/आवंटी तेजमल आत्मज कल्याण गुर्जर को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं0 1579 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम करवर दिनांक 05.07.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा "आवंटी उस ग्राम का निवासी नहीं है, जिस ग्राम की भूमि उसको आवंटित की गई है" के आधार पर उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी/अपीलांट को किया गया आवंटन दिनांक 05.07.1999 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 24.02.2003 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 568/प्रा0पत्र/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां बनाम तेजमल आत्मज कल्याण गुर्जर में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2003 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि अपीलांट को आवंटन नियमों के तहत किया गया था। कानून का यह सर्व मान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आवंटी जो जहां पर भूमि आवंटित है, उस गांव का नहीं हो और राजस्थान के किसी भी गांव का निवासी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

हो तो उसे नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जा सकता है। इस पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया कि "अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि के सबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है या नहीं, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो उस आवंटन पर आवंटन कमेटी द्वारा उस पर विचार किया गया है या नहीं"। इस प्रकार आवंटन आदेश में इस तरह का कोई अंकन नहीं किया जाता है तथा भू–आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी/अपीलांट को किया गया भूमि का आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है, जब कोई मिथ्या रोपण किया गया हो या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया हो। आवंटित भूमि पूर्व कब्जे के आधार पर आवंटन की गयी है तथा आवंटन के पश्चात भी उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इन महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं करके उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश दिनांक 24.02.2003 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 02.12.2021 को होने पर अपीलांट के द्वारा नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित में देरी कन्डोन फरमायी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2003 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से अपीलांट/आवंटी का कब्जा काश्त है। कानून का यह सर्व मान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आवंटी जो जहां पर भूमि आवंटित है, उस गांव का नहीं हो और राजस्थान के किसी भी गांव का निवासी हो तो उसे नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया कि "अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि के सबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है या नहीं, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो उस आवंटन पर आवंटन कमेटी द्वारा उस पर विचार किया गया है या नहीं"। इस प्रकार आवंटन आदेश में इस तरह का कोई अंकन नहीं किया जाता है तथा भू–आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी/अपीलांट को किया गया भूमि का आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है, जब कोई मिथ्या रोपण किया गया हो या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया हो। आवंटित भूमि पूर्व कब्जे के आधार पर आवंटन की गयी है तथा आवंटन के पश्चात भी उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2003 को पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 02.12.2021 को होने पर अपीलांट के द्वारा नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित में देरी कन्डोन फरमायी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2003 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। मियाद के बिन्दु पर निम्नानुसार न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किये गये हैं :–

RRT 2004(1) Page No. 374 :- Limitation Act, 1963- Sec. 5- Dismissal of appeal on the ground of Limitation without looking in merits-Held, before rejecting application u/Sec. 5- and dismissing appeal as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

RRT 2008(2) Page 1406-1407 :- Rajasthan Land Revenue Act, 1956 –Sec. 84- Limitation Act, 1963-Sec. 5- Condonation of delay- Application u/Sec. 5 allowed & dealy condoned-Order of 28-05-1970/08-06-1970 & mutation dt. 23-12-1970 challenged-Appeal filed after 32 years-Length of period is not material for condonation of delay but sufficient cause is material – Addl. Divisional Commissioner held that substantial question of law & justice involved & decided to adjudicate the appeal on merits-Held, No illegality or jurisdictional error in the order.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपील में महत्वपूर्ण सारवान बिन्दु निहित होने से प्रकरण का गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनवां के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट/आवंटी तेजमल आत्मज कल्याण गुर्जर को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं0 1579 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम करवर दिनांक 05.07.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा "आवंटी उस ग्राम का निवासी नहीं है, जिस ग्राम की भूमि उसको आवंटित की गई है" के आधार पर उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी/अपीलांट को किया गया आवंटन दिनांक 05.07.1999 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 24.02.2003 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि कोई भी आवंटी जो जहां पर भूमि आवंटित है, उस गांव का नहीं हो और राजस्थान के किसी भी गांव का निवासी हो तो उसे नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जा सकता है। भू–आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी/अपीलांट को किया गया भूमि का आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है, जब कोई मिथ्या रोपण किया गया हो या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया हो। आवंटित भूमि पूर्व कब्जे के आधार पर आवंटन की गयी है तथा आवंटन के पश्चात भी उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

8. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलांट के द्वारा आवेदन पत्र में निवास स्थान कल्याणीखेड़ा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार अंकित किया गया है कि आवंटी जो भूमि चाहता है, वह मौके पर खाली है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट में आवेदन पत्र पर आवंटी के ग्राम कल्याणखेडा का होना तथा प्रार्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि में पिता के पास की भूमि तथा प्रार्थी/अपीलांट के तीन भाई होने का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2003 में

आवंटन निरस्तीकरण का जो तर्क दिया गया है, उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि आवंटन हेतु आवेदन पत्र में आवंटन नियमों के तहत यह शर्त अंकित नहीं की गई है कि आवंटी उसी ग्राम का निवासी हो, बल्कि उक्त चाही गई भूमि के संबंध में कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए है, की रिपोर्ट किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलांट/आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन किया जाना तथा आवेदन के समय अपीलार्थी/आवंटी द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2003 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 568/प्रा0पत्र/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां बनाम तेजमल आत्मज कल्याण गुर्जर में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2003 अपास्त किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1999 खसरा सं0 1579 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम करवर बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

15/4/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा